में उपस्थित थे और उन सब ने मिलकर के इस संगठन की नियमावली में से नियम 3(ख) को निरस्त किया और नियम 19(9) मे संशोधन किया। उसके बाद बोर्ड ने यह फैसला किया कि इसमें एक शैड्यूल्ड कास्ट और एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स सदस्य को रखा जाए। तत्पश्चात् एक और संशोधन हुआ जिसमें यह कहा गया कि एक शैड्यूल्ड कास्ट, एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स और एक महिला सदस्य होगी। अब केवल एक स्थान बचता हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर अध्यापक संघ अपने एक शिक्षाविद् का चयन करके भेज दे और सरकार उसको शामिल कर लेगी। क्योंकि बोर्ड के नियमानुसार हम केवल चार शिक्षाविदों को शामिल कर सकते हैं। उसमें तीन शिक्षाविद् एक शैड्यूल्ड कास्ट, एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स और एक महिला क्षेत्र से बोर्ड के नियमों में प्रस्तावित हैं,स्वीकृति है और एक स्थान खाली है। अगर माननीय सदस्य अपने इन सहयोगियों के साथ यह तय करा दें और एक शिक्षाविद् अध्यापकों की तरफ से चुनकर भेज दें, हम उसे शामिल कर लेंगे।

श्री राघवजी : सर, माननीय मंत्री जी ने जो बताया हैं मैं समझता हूं कि उसमें शायद कुछ अन्तर प्रतीत होता हैं क्योकि धारा 3(ए) तथा 18 में पहले से ही एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक महिला सदस्य तथा एक अन्य सदस्य हैं, वह एक अलग क्लॉज हैं और मैं 36(बी) की बात कर रहा हूं जिसके अंतर्गत अध्यापकों के प्रतिनिधि हुआ करते थे और छह प्रतिनिधि थे। यह तो इसमें पहले से ही समावेश किया गया हैं। इसके अलावा भी 1998 में जो उत्तर दिया गया हैं और जिसमें वर्तमान में जो सदस्य मौजूद रहे हैं उसमें श्री अमर सिंह जी ओर अन्य सदस्य भी हैं जो मेरी जानकारी के अनुसार शायद आज भी कार्यरत हैं। वे काफी अधिक संख्या में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस हैसियत से सदस्य हैं? और अगर वह अलग प्रावधान हैं तो उसमें तो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह पृथक् से जो अनुबन्ध था वह वैसा का वैसा रहने दिए जाए तभी उसमें एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व हो सकता हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सर, ये दोनो नियम (3 बी) और 19(9) के बारे में जिस मीटिग की चर्चा की गई हैं, उसमें वह सारे प्रतिनिधि उपस्थित थे, अध्यापको के प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनकी जानकारी में, उनकी सहमति से, सर्वानुमति से ही नियम बदले गए हैं। अब जो स्थिति है वह केवल 4 शिक्षाविदों की नियुक्ति करने की हैं जिसमें से तीन श्रेणियां निश्चित हैं और एक बचती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर उसमें एक शिक्षाविद् अध्यापक संघ की तरफ से आ जाए। मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी।

*267. *[The questioner (Shri Narender Mohan) was absent. For answer vide col. 26* infra]

सुपर बाजार में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

*268 **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले में मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, नई दिल्ली में इसकी स्थापना के समय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सभी श्रेणियों के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया गया हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या पदोन्नतियों में भी आरक्षण नीति का पालन किया गया हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सुपर बाजार में भारत सरकार के संगत आदेर्शो के अन्तर्गत रोस्टर प्रणाली लागू न करने के क्या कारण हैं तथा भावी योजना क्या हैं; और

(घ) इसके अध्यक्ष द्वारा ए.जी.एम. स्तर का एक अधिकार जिसे करोड़ो रूपये के घोटाले के लिए 10 दिन पहले ही चार्जशीट दी गयी थी, किन नियमों के अन्तर्गत डी.जी.एम. के पद पर नियुक्त किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया हैं।

विवरण

(क) से (घ) (के) से (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया हैं कि 1984 में जब सुपर बाजार के भर्ती और प्रोन्नति नियम लागू हुए थे, तब उन्होने कुल पदों के 7.5% पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से प्रत्येक के लिये आरक्षित कर दिए थे सुपर बाजार की प्रबंध समिति ने उपर्युक्त नियमों में 6.10.98 को संशोधन करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। तथापि, सुपर बाजार में अधिशेष कर्मचारियों के कारण 9.3.1988 को गयी भर्ती पर रोक लगा दी थी। रोक लगाये जाने के बाद सुपर बाजार ने

694 व्यक्ति भर्ती किये जिसमें से 615 व्यक्ति दिहाड़ी कर्मचारी थे, जो भर्ती पर रोक लगाये जाने के पहले से कार्य कर रहे थे तथा उन्हे न्यायालय के आदेशों के आधार पर नियमित किया गया था। इस प्रकार सुपर बाजार में की गयी नयी भर्ती मुख्य रूप से फार्मासिस्ट, आशुलिपिक, वैज्ञानिक सहायक, विधि अधिकारी आदि जैसी तकनीकी श्रेणियों में की गयी। इस समय सुपर बाजार में कुल 2145 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 227 और 5 हैं। जहां तक प्रोन्नति में आरक्षण का सम्बन्ध हैं, इसे 12.4.97 से लागू किया गया हैं। सुपर बाजार में आरक्षण रोस्टर 1.7.98 से शुरू किया गया हैं।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया हैं कि उन्होने 23.5.98 से तीन महीने की अवधि के लिये एक सहायक महाप्रबंधक को स्थानापन्न उप महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दूसरे उप महा प्रबंधक के छुट्टी पर जाने के कारण रिक्त हुए पद पर की गयी हैं। यह सच हैं कि अधिकारी को चार्जशीट दी गयी है। तथापि, संगठन में वरिष्ठ आधिकारियों की कमी को देखते हुए तथा संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यो के हित में सुपर बाजार द्वारा स्थानापन्न नियुक्ति की गयी हैं।

श्री चुन्नी लाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर मिला हैं उसमें यह दिया हैं कि 1984 में सुपर बाजार में साढ़े सात प्रतिशत प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत का कोट रखा तथा 1998 में आरक्षण रोस्टर शुरू किया। इन उत्तरों के बाद मेरा पहला पूरक प्रश्न हैं कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि 1984 से 1988 तक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं किया गया हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष अधिनियम की योजना है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मार्च , 1988 मे (रिक्रूटमेंट पर बैन लगा दिया और उकसे बाद फ्रैश रिक्रूटमेंट नही हुआ, अभी भी फ्रैश रिक्रूटमेंट शुरू नहीं किया गया हैं। जब भी फ्रैश रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री चुन्नी लाल चौधरी : जैसा कि सूचित किया गया हैं कि 23.5.98 को तीन महीने की अवधि के लिए एक सहायक महाप्रबंधक को स्थानापन्न उप महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया हैं। मेरा प्रश्न यह हैं कि जिस उप महाप्रबंधक को नियुक्त किया गया हैं क्या वह चार्ज-शीटेड अफसर नहीं है, सहायक उप महाप्रबंधक के रूप में चार्जशीटेड नहीं हैं? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया हैं? और यदि किया गया हैं तो उनके खिलाफ क्या कोई डिसिप्लनेरी एक्शन हो रहा हैं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : उस अफसर के खिलाफ केस था, उसके खिलाफ शिकायत थी। उस पर तो डिसिप्लनेरी एक्शन हो रहा हैं। उसको नोटिस दिया गया हैं। लेकिन अफसरों की कमी की वजह से इनको यह तीन महीने के लिए टैम्परेरी प्रमोशन दी गई है।

रेल गाड़ियों और रेलवे द्वारा संचालित कैंटीनों में गोश्त परोसा जाना

*270 **श्री मोहम्मद आज़म खान** :
मौलान ओबैदुल्ला खान आज़मी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलगाड़ियों और रेलवे द्वारा संचालित कैन्टीनों में मछली को छोड़कर सभी प्रकार के गोश्त का परोसा जाना बंद कर दिया जाएगा; यदि नहीं, तो क्या वहां "जबीहें" के गोश्त के बजाय "झटके" का गोश्त परोशा जाएगा और क्या ऐसे संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों, जो "जबीहें" के गोश्त के अलावा कोई अन्य गोश्त नहीं खा सकते, के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : जी, नहीं। मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री मोहम्मद आजम खान : चेयरमैन सर, यह कुछ ऐसा सवाल हैं जो मन से भी जुडा हुआ है। अब तक किसी के यह पूछने पर कि रेलवे द्वारा संचलित कैन्टीन में गोश्त कैसा हैं, तो हालत और झटके की सूचना दी जाती थी। मुसलमान क्योंकि झटका नहीं खाते हैं और हलाल गोश्त ही खाते हैं, लिहाजा कोई ऐसी व्यवस्था का प्रावधान उन सदस्यों के लिए जो झटके का गोश्त नहीं खाते हैं, हलाल खाते हैं, हलाल गोश्त का इन्तजाम किया जाएगा?